

फर्द अहकाम

कार्यालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) एवं उपखण्ड अधिकारी मावली, उदयपुर

पार्थी का/लु विपक्षी शुशीलाल
 केसम मुकदमा 53 199 पत्रावली संख्या 80/20 सन् _____

क्रमांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई
---------	-----------------	---

18/11/24
 कृलाय वादी / प्रतिवादी उप प.स. पालता रिजर्व
 के लिये मौका चाहते हैं। अतः उस
 भवसर दिया जाकर पत्रावली दिनांक 29/11/25
 को पेश हो।

lm
 SDO मावली

29/11/25
 कृलाय वादी / प्रतिवादी उप प.स. पालता रिजर्व
 के लिये मौका चाहते हैं। अतः उस
 भवसर दिया जाकर पत्रावली दिनांक 18/12/25
 को पेश हो।

lm
 SDO मावली

18/12/25
 आज दिनांक की वार एसोसियेशन मावली
 नें कार्य स्थगित रखने का अनुरोध किया।
 अतः पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक....
20/12/25 को पेश हो।
 81°
 2

20/12/25
 कृलाय वादी / प्रतिवादी उप प.स. पालता रिजर्व
 के लिये मौका चाहते हैं। अतः उस
 भवसर दिया जाकर पत्रावली दिनांक 20/12/25
 को पेश हो।

lm
 (SDO) मावली



20/06/25 पशावली पेशा हुई। आदि. उग्र

पक्ष. 34.1 TDR द्वारा विपरीत प्रकार का निवेदन किया की वही कृषा वादग्रस्त कृषि को अपने हितों का विधान कर दिया गया। इसी अपना खाना पर ऑन लाइन जमावंधी का अवलोकन किया। जिससे जाहिर आया की वर्तमान खाना नकार प्रकार चन्द्र डंगी, बाबुलाल एवं मानाराम ही इस प्रकार पशावली में बाबुलाल व मानाराम पक्षकार नहीं है तथा चन्द्र प्रकार प्र.सं. 6 के रूप में पक्षकार है। जिसके विरुद्ध सर्व में लोकतंत्र कार्यवाही के आदेश दिए जा चुके हैं। आदि वरु। उग्र पक्षकार न की रावा खारिज किसे जाने का निवेदन किया। न्यायालय का विनम्र आग्रह है कि वादी एवं प्र.सं. 1 से 4 का नाम वादग्रस्त कृषि में वर्तमान ऑन लाइन जमावंधी में दर्ज नहीं है प्र.सं. 5 राज्य सरकार ही एवं प्र.सं. 6 के विरुद्ध सर्व में लोकतंत्र कार्यवाही की जा चुकी है। प्रकरण केवल मास विभाजन का ही है। इस प्रकार के आगे चलाने का कोई औचित्य नहीं है। अतः वही का वाद एवं प्र.सं. 1 प्र.सं. 4 का 302 वरु वाद वकील नर पर खारिज किया जाता है।

पशावली इसलिये सुमाव होकर नकार से कम है।



निर्णय सर्वे राजलाल सुमाव गगना